सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 21/17 **निर्णय दिनांकः 21.03.2018**

1. शंकरलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी राववाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 07—01—2008
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री जयदयाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 07—01—2008 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का खुली बोली आवंटन निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील कोलायत के चक नम्बर 21 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 86/29 की भूमि मुहरबन्द आवंटन के तहत भूमि आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 07—01—2008 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन के साथ तमाम आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट को भूमि आवंटन का पात्र मान लिया गया था मगर उपरोक्त भूमि पर स्थगन होने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया जो कानून एवं विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि न्याय का यह सिद्वान्त है कि पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पर न्यायालय का स्थगन आदेश है। अदालत मातहत द्वारा यह अंकित नहीं किया गया कि किस न्यायालय का स्थगन आदेश है व ना ही स्थगन आदेश क्रमांक व दिनांक का कोई अंकन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र नियम विरूद्व खारिज किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 07—01—2008 निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07—01—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 27—03—17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07—01—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27—03—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा मोहनबन्द बोली के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 21 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 86/29 की भूमि आवंटित करने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र की जॉच करते हुए वादगत् भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई।

(3) अदालत मातहत द्वारा मुहरबन्द बोली निलामी में भूमि आवंटन हेतु कार्यक्रम बैठक दिनांक 07—01—2008 उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 2 व 3 मु. बज्जू में आहूत की गई तथा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत

रिपोर्ट के आधार पर पाया कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबे पर न्यायालय का स्थगन आदेश है। अतः इस आधार पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

(4) प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत् भूमि पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है व अपीलांट द्वारा धरोहर राशि रूपये 35,000/— का रिफण्ड भी प्राप्त कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र के संबंध में तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। लिहजा अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ दिनांक 07—01—2008 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर